रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 255] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 1995/ज्येष्ठ 19, 1917
No. 255] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE, 9, 1995/JYAISTHA 19, 1917

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 1995

सा. का. नि. 492(अ) :—केन्द्रीय सरकार, धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम 1958 (1958 का 21) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय, (खाद्य विभाग) नई दिल्ली के आदेश सं. एफ 15 (राज)/78—डी एंड आर—I— 76, दिनांक 20 मार्च, 1981 के उपांतरण में यह निदेश देती है कि राजस्थान राज्य में चावल मिलों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5, धारा 8 की उपधारा (3) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां :—

(क) होने वाले लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में राजस्थान सरकार के उद्योग निदेशक द्वारा सम्पूर्ण राज्य के लिए; और

(ख) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अपने-अपने जिलों में भी प्रयोक्तव्य होगी ।

[एम – 26011/2 (राज.)/94–95 (आर एम)]
प्रमिला ईसर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

ORDER

New Delhi, the 9th June, 1995

G.S.R. 492 (E) :—In exercise of the Powers conferred by section 19 of the Rice-Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958) and in modification of the order of the Government of India, Ministry of Food and Agriculture, (Department of Food), New Delhi order No. F.15(RAJ)(15)/78—D&R.I.76 dated 20th March, 1981 the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under section 5, clauses (c) and (d) of sub-section (3) of section 8 of the said Act, in relation to the rice mills in the state of Rajasthan, shall also be exercisable;—

(a) by the Director of Industries Government of Rajasthan, to be the Licensing Officer for the whole state; and

(b) by the General Manager, District Industries Centres (MAHA PRABANDHAK, ZILA UDYOG KENDRAS) in their respective Districts.

[M—26011/2(RAJ.)/94-95(RM)]
PROMILLA ISSAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995